न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 15 / 2022
प्रविष्टि दिनांक 20.10.2022

जरिये धर्मचन्द अग्रवाल,प्रवर्तन अधिकारी कार्यालय जिला रसद अधिकारी टोंक
– प्रार्थी

बनाम

मै0 धनजी सैन पुत्र पवन सैन मूल निवासी छाण हाल निवासी ताराचन्द ग्वाला का मकान आर्दश नगर टोंक

– अप्रार्थी

जब्तशुदा 8 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी एंव मोटर पाईप मय रेगूलेटर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थितः–

1– पेराकार सरकार – प्रार्थी की ओर से
2– अप्रार्थी – स्वंय उपस्थित

निर्णय **दिनांक 30.01.2023**

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 12.10.2022 को प्रवर्तन अधिकारी बहमराह कार्यवाहक जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक के साथ मै. धनजी सैन पुत्र श्री पवन सैन निवासी छाण जिला टोंक के व्यवसाय स्थल श्री ताराचन्द ग्वाला का मकान कृष्णा कॉलोनी आर्दश नगर टोंक की तलाशी लेने पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को अवैध रूप से भण्डारण किया जाना पाया गया था। मौके पर 8 घरेलू गैस श्रेणी के सिलण्डर रखे पाये गये इसके अतिरिक्त एक मोटर मय रबर पाईप एवं रेगूलेटर के रखी होना पाई जिसका उपयोग सिलेण्डर को जोड़कर वाहनों में गैस भरने के काम में आता है। प्रार्थी का उक्त कृत्य एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 का स्पष्ट उल्लघंन होने के कारण उक्त 8 सिलेण्डर मय रबर पाईप, रेगुलेटर एवं मोटर सहित मौके पर कब्जेराज लिया जाकर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

जिला कलेक्टर
टोंक

(सभी मात्रा कि0ग्रा0 में)

क्र0स0	एस0आर0 नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस
1	611760-T	BPCL	14.2	15.7	24.5	8.8
2	353684-B	IOCL	14.2	15.5	20.2	4.7
3	81878-L	IOCL	14.2	15.0	26.4	11.4
4	411282-T	IOCL	14.2	15.4	29.5	14.1
5	732218-P	IOCL	14.2	15.5	29.6	14.1
6	473504-P	IOCL	14.2	15.9	30.1	14.2
7	453927-S	IOCL	14.2	15.0	29.2	14.2
8	007068	IOCL	14.2	15.6	29.4	13.8
TOTAL						95.3

व्यवसायी ने उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः उक्त जब्तशुदा 8 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 95.3 Kg एलपीजी, रबर पाईप, मय रेगुलेटर व मोटर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गयी। प्रकरण मे पेरोकार सरकार एंव अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 12.10.2022 को प्रवर्तन अधिकारी टोंक बहमराह कार्यवाहक जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक के साथ मै. धनजी सैन पुत्र श्री पवन सैन निवासी छाण जिला टोंक के व्यवसाय स्थल श्री ताराचन्द ग्वाला का मकान कृष्णा कॉलोनी आर्दश नगर टोंक की तलाशी लेने पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस श्रेणी के सिलेण्डर (मानकभार 14.2 KG) को अवैध रूप से भण्डारण किया जाना पाया गया था। मौके पर 8 घरेलू गैस श्रेणी के सिलण्डर रखे पाये गये इसके अतिरिक्त एक मोटर मय रबर पाईप एवं रेगूलेटर के रखी होना पाई जिसका उपयोग सिलेण्डर को जोड़कर वाहनों में गैस भरने के काम में आता है। उक्त 8 सिलेण्डर का भण्डारण प्रार्थी द्वारा अवैध रूप से किया जाना पाया गया जिसके साक्ष्य में प्रार्थी द्वारा मौके पर कोई सबूत/ संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। प्रार्थी का उक्त कृत्य एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 का स्पष्ट उल्लघंन होने के कारण उक्त 8

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

सिलेण्डर मय रबर पाईप, रेगुलेटर एवं मोटर सहित मौके पर कब्जेराज लिया जाकर फर्द अभिग्रहण तैयार की गई। इस प्रकार व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डरों का दुरूपयोग कर अवैध रूप से व्यवसाय कार्य करने हेतु आबादी क्षेत्र में अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया जो कि एलपीजी कन्ट्रोल आर्डर 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघन है। जब्त सामग्री मय गैस सिलेण्डर को सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखने हेतु टोंक गैस डिस्ट्रीब्यूटर के प्रतिनिधि श्री रामसिंह पुत्र श्री मदन सिंह निवासी कुम्हारों की चौकी काली पलटन की सुपुदर्गी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहाँ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द–बुर्द नही करें। व्यवसायी ने उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। अतः उक्त जब्तशुदा 8 घरेलू गैस सिलेण्डरों मय 95.3 Kg एलपीजी, रबर पाईप, मय रेगुलेटर व मोटर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है जिसे राजसात किया जावे।

अप्रार्थी का कथन है कि प्रकरण का उचित निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस/अप्रार्थी के कथन पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 12.10.2022 के अनुसार मै.धनजी सैन पुत्र पवन सैन मूल निवासी छाण हाल निवासी ताराचन्द ग्वाला का मकान आर्दश नगर टोंक के व्यवसाय स्थल का निरीक्षण करने पर अवैध रूप से वाहनो मे रिफिलिंग के कार्ये में प्रयुक्त किया जा रहे उक्त 8 सिलेण्डर मय रेगुलेटर पाईप,रबर पाईप व मोटर सहित मौके पर जब्त कर तौल पट्टी तैयार की गई जिसका विवरण निम्नानुसार है।

(सभी मात्रा कि0ग्रा0 में)

क्र0स0	एस0आर0 नम्बर	कम्पनी का नाम	मानक भार	खाली सिलेण्डर वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस
1	611760-T	BPCL	14.2	15.7	24.5	8.8
2	353684-B	IOCL	14.2	15.5	20.2	4.7
3	81878-L	IOCL	14.2	15.0	26.4	11.4
4	411282-T	IOCL	14.2	15.4	29.5	14.1
5	732218-P	IOCL	14.2	15.5	29.6	14.1
6	473504-P	IOCL	14.2	15.9	30.1	14.2
7	453927-S	IOCL	14.2	15.0	29.2	14.2
8	007068	IOCL	14.2	15.6	29.4	13.8

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

TOTAL						95.3

जांच करने पर दुकान/गोदाम मे मौके पर 8 घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर रामसिंह व धनजी के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी रामसिंह व धनजी के हस्ताक्षर है। टोंक गैस डिस्ट्रीब्यूटर के प्रतिनिधि श्री रामसिंह को उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय–समय पर सब्सिडी दी जाती है को घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण व वाहनो मे रिफिलिंग के कार्य में प्रयोग करने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 8 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गेस सिलेण्डर मय 95.3 kg को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
टोंक (राजस्थान)

चिन्मयी

(चिन्मयी गोपाल)

जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक